Volume-4, No. I, Feb-2017, pp.Hin.- 25-27

समाज कल और आज

श्रीमति विनोद कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
जी०आई०पी०टी०एस० मेरठ उत्तर प्रदेश भारत।

शोध सार

मानव समाज के विकास के साथ–साथ कुछ ऐसी प्रथाएँ जन्म ले लेती हैं जिनसे समाज में मानवाधिकारों का हनन होता है। मानव प्राणी के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार बाधित होते हैं। हमारे भारतीय समाज में भी ऐसी बहुत–सी कुप्रथाएँ प्रचलित रहीं हैं। इन प्रथाओं से पीड़ित वर्ग की व्यथा देखकर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में उन प्रथाओं के विरोध में खड़े होकर उन्हें समाप्त किया है। वर्तमान में एक ऐसी ही प्रथा मुस्लिम समाज में प्रचलित है, वह है तीन तलाक की प्रथा। जिससे मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है एवं वे इस प्रथा के खिलाफ हैं। इस लेख के माध्यम से इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

संसार में मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ कुछ ऐसी प्रथाओं का जन्म भी होता गया जो मानव के गरिमा पूर्ण जीवन को बाधित करती है। जैसे दास प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा का विवाह न करना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, तीन तलाक प्रथा आदि। इन प्रथाओं ने किसी न किसी रूप में मानव के स्वतन्त्र व सुखपूर्ण जीवन को कलंकित किया है।

मुख्य शब्द– दास प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुर्नविवाह, सती प्रथा, तीन तलाक।

दास प्रथा– मानव समाज में प्राचीन समय से ही दासता की प्रथा रही है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का बड़े पैमाने पर उत्पीडन इस प्रथा के अर्न्तगत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। एशिया, अमरीका अफ्रीका, यूरोप आदि सभी भूखंडो में उदय होने वाली सभ्यताओं के इतिहास में दासता ने सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया है जो सभ्यताॅए प्रधान रूप से तलवार के बल पर बनी, बढी और टिकी थी, उनमें दासता नग्न रूप में पायी जाती थी।

इस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है। उन्होने इस प्रथा का अन्त किया, उनके द्वारा जब इसे समाप्त करने के लिए कानून बनाये तब उन्हें भी आलोचनाओं एवं विरोध का सामना करना पड़ा था।

जाति प्रथा– भारतीय समाज में इसी प्रकार जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में व्याप्त है समाज में कुछ लोगों द्वारा स्वंय को उच्च व अधिक अधिकार प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। कुछ जाति विशेष के लोगो को निम्न वर्ग का होने के कारण छुआछूत जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहा है । उन्हे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता रहा है उन्हें कुॅओं से पानी भरने की अनुमति नही थी, उन्हें मन्दिरों में जाकर पूजा करने की अनुमति नही थी। समाज से इस प्रकार की प्रथाओं को दूर कने के लिए भारतीय संविधान में इन सभी को दण्डनीय घोषित किया गया। इसके बाद समाज में जाति प्रथा के धर्म के आर्थिक या अन्य किसी भी सामाजिक आधार पर भेदभाव समाप्त होने लगा। इस व्यवस्था की जड़ें अब ढीली होती जा रही है। वर्षो से शोषित अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। संविधान के द्वारा उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे है। उन्हें सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्ति में प्राथमिकता और छूट दी जाती है ।

बाल विवाह– बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो भारतीय समाज में प्राचीन समय में बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त थी तथा छुट–पुट रूप में आज भी विद्यमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत बाल विवाह के मामले में अभी भी विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारतीय कानून के अनुसार बाल–विवाह वो है जिसमें लडकी की उम्र 18 वर्ष से कम और लडके की आयु 20 वर्ष से कम हो। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। ऑकड़ों के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल विवाह की घटनाऍ होती है। जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9 प्रतिशत बाल विवाह होते है। बाल विवाह से समाज में लडके और लड़कियों दोनो को ही परेशानी और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही पक्ष परिपक्व नही होते है। वास्तव में शादी को दो

परिपक्व व्यक्तियों की आपसी सहमति से बना पवित्र मिलन माना जाता है जो पूरे जीवन भर के लिए एक दूसरे की सभी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते है। इस सन्दर्भ में बाल विवाह का होना एक अनुचित रिवाज माना जाता है। इस रिवाज को समाप्त करने के लिए हर बिलास सारदा ने अथक प्रयास से बाल विवाह निरोधक कानून 1929 पास किया। जिसका बहुत अधिक विरोध उस समय पर हुआ था। भारतीय संविधान में विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के माध्यम से बाल–विवाह को रोकने के प्रावधान है। सबसे पहला कानून शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया था इसके अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में विवाह निरोधक अधिनियम (संशोधित) बनाया जिसके द्वारा लड़के की विवाह की आयु 18 से बढाकर 21 वर्ष तथा लड़की की 14 से बढाकर 18 वर्ष कर दी गयी। इसके उल्लंघन पर 15 दिन से अधिक के कारावास साथ ही 1000 रूपये के अर्धदण्ड का प्रावधान है। एक अन्य कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है इस अधिनियम के अर्न्तगत बाल विवाह के पक्षों को यह अधिकार दिया गया है कि वह व्यस्क होने के दो वर्ष के अन्दर अपनी इच्छा से विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। संविधान में दिये गये इन कानूनों के बावजूद जब तक सामाजिक जागरूकता का अभाव रहेगा हम पूर्ण रूप से बाल विवाह को समाप्त नही कर सकते है।

विधवा पुर्नविवाह– समाज में व्याप्त रिवाजों एवं प्रथाओं में से ही एक है– विधवा के साथ विवाह न करना। विधवा विवाह से तात्पर्य ऐसी महिला से विवाह है जिसके विवाह उपरांत उसके पति का देहांत हो गया है और वह वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही है। समाज के कुछ वर्गो में यह व्यवस्था थी कि पत्नी के निधन हो जाने पर वह किसी भी आयु में दूसरा विवाह कर सकते थे। यह आयु वृद्धावस्था भी हो सकती थी। पति की मृत्यु हो जाने पर उस विधवा को समाज से अलग कर दिया जाता था तथा उसके साथ पाश्विक व्यवहार किया जाता था।

विधवा विवाह को बेहद घृणित दृष्टि से देखा जाता था तथा उसे सम्मानजनक, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार नही था समाज में फैली हुयी इस कुप्रथा से ईष्वर चन्द विद्यासागर बहुत आहत हुए ये ब्रहम् समाज से थे उन्होने इस कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया तथा वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि हमारे वेद विधवा पुर्नविवाह से इनकार नही करते है बल्कि वे इसकी अनुमति प्रदान करते है उन्होने विधवा विवाह को वैध घोषित कराने के लिए विधवा पुर्नविवाह कानून 1856 पारित कराया इसके पश्चात हमारी सरकारे भी समय–समय पर विधवा विवाह को बढावा देने के लिए विभिन्न योजनायें चलाती रहती है। वर्तमान में 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से अविवाहित अथवा विधुर व्यक्ति के द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 11000 रूपये की धनराशी अनुदान के रूप में केवल एक बार प्रदान की जाती है। ऐसी विधवा महिला जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है यदि वह पुनः शादी करती है तो उसकी विधवा पेंशन बंद करके शादी के समय पर उसे 15000 रूपये नगद अनुदान के रूप में दिये जाते है।

सती प्रथा– सती प्रथा समाज में फैली हुयी वह कुरीति थी जिसमें जीवित विधवा पत्नि को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रहम् समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने समाज के घोर विरोध के बावजूद इस अमानवीय प्रथा के विरूद्ध निरन्तर लम्बे समय तक आन्दोलन चलाया। इसमें उनका विरोध इतना अधिक था की एक अवसर पर तो उनके जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया था लेकिन इस सब के बावजूद वे इसे समाप्त करने के लिए लगातार विरोध करते रहे तथा प्रयासरत रहे। इसी का परिणाम था कि 1829 में लार्ड विलियम बैंटिक द्वारा विधवाओं को जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। जिस समय ब्रिटेन में प्रिवी कोंसिल के समक्ष सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब सती प्रथा के कट्टर समर्थक लोगो ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि सती प्रथा को समाप्त न किया जाये लेकिन प्रिवी कोंसिल ने सती प्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित करने का निर्णय सुनाया।

समाज में फैली हुयी कोई भी ऐसी प्रथा जिससे मानव प्राणी किसी भी प्रकार का कष्ट झेलता है तो उस प्रथा को मानव हित में समाप्त करना आवश्यक हो जाता है परंतु जैसा कि यहा पर विभिन्न कुप्रथाओं के बारे में उल्लेख किया गया है कि उन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने में भी उनके विरोध में जो भी समाज सुधारक सामने आये उन्हें समाज के उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो उन प्रथाओं के पक्ष में थे। इन विरोधों के होते हुए भी संसार के विभिन्न देशों में अपने समाज से इन कुप्रथाओं को समाप्त किया।

मुश्लिम महिलाएं तीन तलाक– वर्तमान में मुस्लिम समाज में तीन तलाक की ऐसी ही कुप्रथा प्रचलित है। तलाक वह प्रथा है जिसमें निकाह के उपरान्त किसी कारण से पति पत्नि में इतना विरोध उत्पन्न हो

जाता है कि उनका एक साथ रह पाना सम्भव नही होता है उस स्थिति में तलाक के द्वारा वे एक दूसरे से अलग हो जाते है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते है। यूँ तो मुस्लिम समाज में तलाक के कई रूप प्रचलित है परन्तु इन रूपों में तलाक लेने पर मुस्लिम महिला स्वंय को ठगा सा महसूस नही करती है। तीन तलाक ऐसी प्रथा है जिसमें पुरूष महिला की इच्छा के विरूद्ध उसे कारण बताये बिना उसे तलाक दे देता है मुस्लिम समाज की अधिकांश महिलायें तीन तलाक के पक्ष में नही है। तीन तलाक अथवा तलाक–ए–बिद्अत तलाक का वह रूप है जिसमें एक ही बार में तलाक–तलाक–तलाक कह दिया जाता है तो इस समाज के पुरूष वर्ग द्वारा तलाक मान लिया जाता है अर्थात तलाक–ए–मुगल्लजा हो गयी है और अब पति पत्नि साथ नही रह सकते है। हमारे देश में वर्तमान में देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग तीन तलाक दे दिये जाने से पीडित है उनके सामने स्वंय के साथ–साथ अपने बच्चों की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने का संकट अचानक से आ पड़ता है ऐसे में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। संसार के बहुत से देश ऐसे है जो तीन तलाक की प्रथा को अपने समाज से समाप्त कर चुके है। इस क्रम में सर्वप्रथम मिश्र ने 1929 में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी बिना कोर्ट की अनुमति के तलाक नही हो सकता है। तुर्की में सन् 1926 से तलाक कानून के अनुसार हो रहा है। साइप्रस में भी टुर्की के कानून को मान्य किया गया है यहा पर भी बिना कोर्ट की अनुमति के तीन तलाक स्वीकारे नही है। ईरान जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी 1986 से तलाक कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार ही सम्भव है। इसी प्रकार अन्य बहुत से देशों में भी मुस्लिम समप्रदाय के लोगों में तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा कानूनी नियमों के अनुसार ही तलाक सम्भव है। जब दुनिया के मुस्लिम बहुल्य देशों के साथ–साथ अन्य देशों में भी तलाक कानून के अनुसार होता है। तब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह सम्भव क्यों नही हो सकता है। यहाँ की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका समाज में महिलाओं को शोषित एवं प्रताड़ित होते हुए देखने के लिए विवश क्यों है? जबकि मुस्लिम समाज की महिलाएँ जो इस तलाक जैसी कुप्रथा से पीड़ित हैं और वे बेसहारा हैं और वे धर्म के ठेकेदारों से आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में उत्तर चाहती हैं। वहाँ से उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तब उनकी विवशता उन्हें कोर्ट में जाने को मजबूर करती हैं। तीन तलाक पीड़ित महिलाएँ ही परेशान नहीं होती बल्कि उनके साथ उनके माता–पिता, भाई परिवार सभी व्यक्ति परेशान होते हैं। इन सभी समस्याओं, परेशानियों से निजात पाने के लिए अब मुस्लिम महिलाएँ कोर्ट में न्याय मांगने जा रहीं हैं। नैनीताल की शायरा बानो, जयपुर की अफरीन, छावड़ा की ईशरत जहां आदि बहुत सी महिलाएँ न्यायालय से न्याय माँगने की कतार में खड़ी हैं। ये सभी महिलाएँ तीन तलाक से पीड़ित हैं। यहीं नहीं मुस्लिम समाज में अब पुरूशों के द्वारा महिलाओं को ई–मेल, मैसेज, व्हाट्स एप आदि नवाचारों के माध्यम से भी तलाक दिये जा रहे हैं। इस तीन तलाक की इस कुप्रथा के विरोध में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 अप्रैल 2017 को भुवनेश्वर में कहा कि ''मुस्लिम महिलाओं का शोषण बन्द होना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए।'' तीन तलाक से सम्बन्धित प्रक्रिया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। वास्तव में मुस्लिम ग्रंथों में कहीं पर भी एक साथ तलाक–तलाक–तलाक कह देने मात्र से तलाक हो जाएगा ऐसा वर्णन नहीं है। तलाक की इस प्रक्रिया में एक निश्चित समयावधि होती है, (जैसे–एक माह, एक सप्ताह आदि) पर पहली बार तलाक कहने के उपरांत एक निश्चित अंतराल के बाद दूसरी बार तथा उसी अंतराल के उपरांत तलाक कहने से तलाक पूर्ण होता है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तथा किसी भी प्रकार से तीन बार तलाक कह देनें मात्र से पति–पत्नी को कहीं पर किसी भी हालात में छोड़कर स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है।

निष्कर्ष– आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार जहाँ, जब, जैसे हैं, की स्थिति में दिया जाने वाले तलाक की यह कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा आवश्यक नियम बनायें जायें तथा उन्हें अमली जामा पहनाया जाये अथवा संसद के द्वारा कानून बनाकर पीड़ित वर्ग को न्यायालय के द्वारा न्याय दिलाया जाये जिससे वे महिलाएँ भी सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण तरीके से समाज में निवास कर सकें। जब तक इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इसके समाप्त करने की दिशा में कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी मुस्लिम महिलाओं को इसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा।

इतिहास साक्षी है कि समाज में व्याप्त किसी भी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को संघर्ष करना पड़ता है। तभी हम इस प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त करने में सफल होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. भारतीय संस्कृति का विकास– सत्यकेतु विद्यालंकार, जी०सी० प्रिंटर्स, नई दिल्ली।
2. इतिहास दर्षन– डा० परमानन्द सिंह – श्री जनेन्द्र प्रैस, नई दिल्ली।
3. समाज शास्त्र– जी०के० अग्रवाल, पब्लिशर्स साहित्य भवन, आगरा।
4. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक– डॉ० गीरिश पचौरी, लायल बुक डिपो।
5- obpnews.abplive.in
6- https://hi.m.wikipedia.org
7- khobar.ndtv.com

Notes